



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



वन उत्पादकता संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)

(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)

लालगुत्वा, एन.एच.-23, गुमला रोड, राँची-835303 (झारखण्ड)

Phone: 0651- 2526140
2526150

डा. नितिन कुलकर्णी, F.E.S.I.
निदेशक

Dr. Nitin Kulkarni, F.E.S.I.
Director

INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY
(Indian Council of Forestry Research & Education)
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)

Lalgutwa, Gumla Road, NH-23, Ranchi-835303 (Jharkhand)

E-mail: -dir_ifp@icfre.org, ifpranchi2018@gmail.com

Website: -http://ifp.icfre.gov.in

फ़ाइल संख्या - स्थापना-III-31/2003 (II) 879,

दिनांक / Dated, the 11th February, 2022.

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER No - IFP/167/2021-22

विभागीय पदोन्नति / चयन समिति की दिनांक 11.02.2022 को हुई बैठक की सिफ़ारिशों एवं अनुशंसा के अनुसार इस संस्थान के श्री दिनेश प्रसाद, नि.व.लि. को उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर तदर्थ आधार पर 7^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में पद ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष के लिए पदोन्नत किया जाता है। किसी भी अधिक भुगतान की स्थिति में, यदि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जाता है या बाद के सरकारी निर्देशों/आदेशों के परिणामस्वरूप यह पाया जाता है, तो वह संबंधित कर्मचारी से वसूली योग्य होगा।

तदर्थ नियुक्ति कर्मचारी को नियमित नियुक्ति के लिए दावा प्रदान नहीं करेगी और संबंधित ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा को भी उस ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य से और पदोन्नति की पात्रता के लिए और अगले उच्च ग्रेड के लिए नहीं गिना जाएगा।

तदर्थ पदोन्नति पर एफ.आर. 22 (1) (ए) (I) के तहत कर्मचारी के पास विकल्प होगा कि वह अपनी पदोन्नति की तारीख से या अगले वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख (जनवरी/जुलाई) से अपने वेतन के निर्धारण कराये। इस तरह के विकल्प का प्रयोग इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जाएगा।

On the recommendation of Departmental Promotion Committee Meeting held on 11.02.2022 at IFP, Ranchi, Shri Dinesh Prasad, LDC of this Institute is promoted to the post of Upper Division Clerk in the pay scale of Level-4 of VII CPC Pay matrix on Adhoc basis with effect from the date of assumption of charge of the post for a maximum period of 01 (one year).

The Ad-hoc appointment shall not bestow on the person a claim for regular appointment and the service rendered on Ad-hoc basis in the grade concerned also shall not count for the purpose of seniority in that grade for eligibility of promotion and for the next higher grade.

With regard to fixation of his pay on Adhoc promotion, he will have an option under FR 22 (1) (a) (I) to get his pay fixed in the higher post either from the date of his promotion or from the date of his next increment. Such option should be exercised within one month from the date of receipt of this order. Such option once exercised shall be treated as final

(डॉ. नितिन कुलकर्णी / Dr. Nitin Kulkarni)

निदेशक / Director

प्रतिलिपि:

1. सचिव, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून।
2. अवर सचिव, पेंशन प्रकोष्ठ, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, व.उ.सं., राँची।
4. लेखा अनुभाग (वेतन), व.उ.सं., राँची।
5. अनुभाग अधिकारी एवं प्रभारी (प्रशासन), व.उ.सं., राँची।
6. श्री दिनेश प्रसाद, अवर श्रेणी लिपिक, व.उ.सं., राँची।
7. संबंधित की व्यक्तिगत फ़ाइल।
8. संबंधित की सेवा पुस्तिका।
9. सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, व.उ.सं., राँची। संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने के हेतु।
10. गार्ड फ़ाइल।